

Gcms No.
2021/938

राजस्व प्रशासन विभाग के द्वारा अधिनियम 2021

क्र. सं. 68/21

8/10-21

प्रमाणित रूप में प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित

दिनांक संशोधन/नाम/जाति इत्यादि हेतु:

उपरोक्त विवरणों में परिवर्तन हेतु कि प्रार्थी गोपाल प्रमाणित श्री हजारी का निवासी है।
 जाति शुक्लिया ग्राम उदेई कला का निवासी है। ग्राम उदेई कला का निवासी है।
 नाम/जाति शुक्लिया पर प्रार्थी का नाम/जाति शुक्लिया है।
 मुझे इसे सम्मानजनक नहीं लगता है। अतः मरा/हमारा/नाम/मरा/हमारी/जाति शुक्लिया को शुद्ध करने को कह करे।

राजपुर

प्रार्थी गोपाल सिंह
 नाम गोपाल
 पिता का नाम हजारी
 जाति शुक्लिया निवासी उदेई कला

रिपोर्ट

दिनांक

प्रार्थी गोपाल पुत्र हजारी के प्रार्थना पत्र पर मजमे आम में जानकारी ली गई है। इस बाबत प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र व पहचान हेतु दस्तावेज पेश किये हैं। जिसके अनुसार प्रार्थी को शुक्लिया नाम/जाति से पुकारा जाता है। प्रार्थी का नाम/जाति शुक्लिया के स्थान पर राजपुर करने में किसी ने भी आपत्ति नहीं जतायी है। अतः प्रार्थी का नाम/जाति शुक्लिया के स्थान पर राजपुर करना उचित होगा।

भू अभिलेख निरीक्षक वृत

(Signature)

कार्यालय तहसीलदार (भू अभिलेख) गंगापूर सिटी

क्रमांक - भूअ. / रा लो अ/2016/

दिनांक

रिपोर्ट परतवारी एवं जाच भू अभिलेख निरीक्षक अनुसार प्रार्थी गोपाल के आत्मज हजारी जाति शुक्लिया निवासी उदेई कला के स्थान उदेई कला के नाम दर्ज नाम/जाति शुक्लिया के स्थान पर राजपुर शुद्ध करने की अनुशंसा की जाती है।

तहसीलदार (भू अभिलेख)
गंगापूर सिटी (संगणक)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गंगापूर सिटी

क्रमांक - राजस्व/ रा लो अ/2016/93

दिनांक - 08/10/2021

स्वीकृति आदेश
 तहसीलदार गंगापूर सिटी की अनुशंसा पर प्रार्थी श्री गोपाल पुत्र श्री हजारी का नाम/जाति राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत शुक्लिया के स्थान पर राजपुर शुद्ध करने की स्वीकृति दी जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
 गंगापूर सिटी
 उप जिला कलेक्टर
 गंगापूर सिटी

